रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052022-235729 CG-DL-E-12052022-235729

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2089] No. 2089] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2022/वैशाख 22, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2022/VAISAKHA 22, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसुचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2022

का. आ. 2197(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4358 (अ) तारीख 03.09.2021 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 20.10.2021 मे प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा त्रिपुरा राज्य में खुबाल फीडर लाइन खंड प्रकृतिक गैस पाइपलाइन के मधायम से प्रकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है:

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

3219 GI/2022 (1)

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है:

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि मे उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची जिला : उत्तर त्रिपुरा सब डिवीज़न: पानिसागर राज्य : त्रिपुरा

गर्दन	n har	лўз	नाम नं	क्षेत्रफल			
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
पानिसागर	जलेबासा	जलेबासा नं 2	2238	00	00	60	
			2237	00	05	18	
			2233	00	02	32	
			2232	00	06	93	
			2229	00	00	58	
			2231	00	01	64	
			2230	00	04	00	
			4580	00	01	21	
			2219	00	07	49	
			2222	00	00	37	
			2220	00	01	77	
			2206	00	06	65	
			2205	00	00	60	
			2203	00	10	11	
			2202	00	19	13	
			2199	00	00	70	
			2198	00	01	35	
			2197	00	13	99	
			2170	00	03	16	
			2158	00	00	80	
			2169	00	13	97	
			4208	00	02	85	
			2167	00	11	63	

2165	00	00	30
2168	00	01	34
2357	00	01	59
2772	00	01	46
2683	00	02	39
2675	00	03	77
2676	00	01	68
2682	00	07	90
2681	00	06	68
2680	00	00	62
4253	00	00	20
2657	00	03	43
2658	00	05	60
2654	00	00	37

[फा. सं. एल-14014/86/2022-जीपी- II (ई-42604)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2022

S.O. 2197(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.4358(E) dated the 03.09.2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 20.10.2021, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Khubal Feeder Line section of North – East Natural Gas Pipeline Grid Project in the state of Tripura, by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District: North Tripura Sub - Division: Panisagar State: Tripura

District: No	orth Tripura	Sub - Division: Pani	sagar	State:Tripura		ripura	
					Area	Area	
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Hectare	Are	Square Metre	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Panisagar	Jalebasa	Jalebasa No 2	2238	00	00	60	
			2237	00	05	18	
			2233	00	02	32	
			2232	00	06	93	
			2229	00	00	58	
			2231	00	01	64	
			2230	00	04	00	
			4580	00	01	21	
			2219	00	07	49	
			2222	00	00	37	
			2220	00	01	77	
			2206	00	06	65	
			2205	00	00	60	
			2203	00	10	11	
			2202	00	19	13	
			2199	00	00	70	
			2198	00	01	35	
			2197	00	13	99	
			2170	00	03	16	
			2158	00	00	80	
			2169	00	13	97	
			4208	00	02	85	
			2167	00	11	63	
			2165	00	00	30	
			2168	00	01	34	
			2357	00	01	59	
			2772	00	01	46	
			2683	00	02	39	
			2675	00	03	77	
			2676	00	01	68	
			2682	00	07	90	
			2681	00	06	68	
			2680	00	00	62	
			4253	00	00	20	

2657	00	03	43
2658	00	05	60
2654	00	00	37

[F. No. L-14014/86/2022-GP-II(E-42604)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.